न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—205/2020/225 आर.टी.एक्ट (2020/00205)

1. बालू पुत्र राजू
2. मदन पुत्र राजू
3. शंकर पुत्र राजू
4. जाला पुत्र रामा
5. जमनी पत्नी भोमा

समस्त जाति रावत, समस्त निवासी ग्राम जोताया, तहसील टांटोटी जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. देवकरण पुत्र राजू जाति रावत, निवासी ग्राम जोताया, तहसील टांटोटी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, टांटोटी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

3. मदन पुत्र बगड़ी
4. शंकर पुत्र गीता
5. बालू पुत्र गोविन्द
6. न्याली पत्नी जाला
7. हालू पत्नी राजू
8. कमला पत्नी बालू

समस्त जाति रावत, समस्त निवासी ग्राम जोताया, तहसील टांटोटी जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.10.2020 राजस्व वाद संख्या 10/2019

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री पुष्पेंद्र मिश्रा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 7 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 16.11.2022

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के द्वारा प्रकरण संख्या 10/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया। दिनांक 9.10.2020 को बिना अपीलांट व रेस्पोडेंटस की बहस सुने बिना ही व कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अपने मनमाने व गैर कानूनी आदेश दिनांक 9.10.2020 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। अतः उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.10.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 07 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी ने मनगढंत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर 2699 पर आने जाने का रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी में से होकर आता जाता है। जिसे अप्रार्थीगण ने अवरूद्ध कर दिया लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से गैर मुमकिन चाह पर आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के किस खसरा नम्बर किस दिशा व रास्ता कहां तक बना हुआ है व मौके पर बना रास्ता गांव के गैर मुमकिन रास्ते के किस खसरा नम्बर से मिलता है। उक्त तथ्यों को छिपाते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी ने पटवारी हल्का से सांठ गांठ कर मौके व रिकार्ड के विपरीत जाकर एक्स पार्टी मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी। उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पेश कर आपत्ति पेश कर बहस में कहा गया कि रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2699, 2693, 2694, 2697 पर आने जाने के लिए पुराने समय से रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी व प्रार्थी के सह खातेदारी से लगता हुआ खसरा नम्बर 2700 सरकारी खाते मे दर्ज है जिसमें मौके पर रास्ता बना हुआ है। 2700 के पास गैर मुमकिन रास्ता है उक्त रास्ता खसरा नम्बर 2603 से मिलता है। 2603 गैर मुमकिन रास्ता है जो रिकार्ड व मौके पर चालू है। 2603 गैर मुमकिन रास्ता है जो आगे जाकर गैर मुमकिन रास्ते खसरा नम्बर 2630 से मिलता है जो आज दिनांक तक चालू है। रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनों के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 2699, 2693, 2994, 2697 के दोनों तरफ सरकारी भूमि के खसरा नम्बर 2700 व 2652 लगते हुए हैं। उक्त सरकारी खसरा नम्बर 2603 जो आगे चलकर खसरा नम्बर 2630 से मिलता है। इस प्रकार प्रार्थी के पास मौके व राजस्व रिकार्ड मे रास्ता मौजूद होने के बावजूद रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी मनगढ़त व झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 2653 व 3766 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया व हल्का पटवारी की रिपोर्ट में खसरा नम्बर 2653 व 3766 में रास्ता बना होने का उल्लेख है। रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी ने खसरा नम्बर 2654 के खातेदारों को भी प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी बाबत मौके की लघुतम/दीर्घतम तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार या भू–अभिलेख निरीक्षक की उपस्थिति में मंगवाए बिना राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अधिनियम 1955 के नियम 69 जो कि आज्ञापक है कि पालना कराए बिना ही विधि में वर्णित प्रावधानों का अध्ययन व अवलोकन किए बिना आदेश अंतर्गत अपील पारित किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस में कथन किया कि ग्राम जोताया खेडी तहसील टांटोटी के खसरा नम्बर 2699 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 चाह है। उक्त आराजीयात प्रतिवादी के खातेदारी में है। उक्त आराजी पर आने जाने का एकमात्र रास्ता प्रार्थी की आराजी के लगवा है जो कदीमी रास्ता है वर्षो से अप्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग चाह पर आने जाने में करता रहा है इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दिनांक 2.4.2019 को नाजायज रूप से रास्ता बंद कर देने पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को रास्ता खुलासा हेतु कहा तो प्रार्थीगण लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हो गए। प्रार्थीगण द्वारा चाह खसरा नम्बर 2699 पर आने जाने हेतु बने हुए कदीमी रास्ते की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाकर रास्ता खुलासा कराया जाए प्रतिवादी को उसी चाह की आराजी से 15 फुट रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा अप्रार्थी उसकी डी.एल.सी दर के अनुसार रास्ते की भूमि की राशि राज्य सरकार व खातेदार को जमा कराने हेतु तत्पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने नये रास्ता कायम करने के प्रार्थना पत्र के अनुसार मौका रिपोर्ट तलब की। मौके की रिपोर्ट अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की फर्द अहकाम 4.9.2020 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट की आपत्ति बाबत बहस सुनी गई थी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आपत्ति पर सुनी गई बहस पर निर्णय नहीं कर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सरकारी नियम 69 की पालना किए बगैर ही पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट पक्षकारों की अनुपस्थिति में बनाई गई है। उक्त अविधिक मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने जहां से रास्ते की मांग की है उक्त सभी खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक मार्ग होते हुए भी तथ्य छिपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया। उपरोक्त सभी कारणों से विधिक न्यायिक न्यायिक दृष्टांतों के प्रावधाना के अुनसार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09.10.2020 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ को इस आश्य से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वे प्रकरण में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए 251 ए प्रार्थना पत्र में सभी

पक्षकारों को पक्षकार संयोजित कर पुनः मौके की सभी पक्षकरों की उपस्थिति में वैकल्पिक मार्ग को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट तलब कर यदि मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्राप्त होती है तो मौका रिपोर्ट आपत्ति का निरस्तारण कर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 10/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी प्रभावित पक्षकारों को पक्षकार संयोजित कर सभी पक्षकरों से जवाब प्राप्त कर धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः मौके की सभी पक्षकारान की उपस्थिति में वैकल्पिक मार्गों को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट तलब कर यदि मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्राप्त होती है तो मौका रिपोर्ट आपत्ति का निस्तारण कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें। उभयपक्षकारान को उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के न्यायालय में दिनांक 05.12.2022 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर